पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 27, अंक 259 मई 2025

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

आश्वस्त

वर्ष : 27 अंक 259
मई 2025

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी. ए. सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	3
2	डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनका पर्यावरण चिंतन	डॉ. पार्वती गोसाई	4
3	महासागर हथियाना : छोटे पैमाने के मछुआरों की आजीविका के परिप्रेक्ष्य में	डॉ. सुभाष भिमराव दोंदे	5
4	बदलते परिदृश्य में मिर्जापुर की आदिवासी जनजातियाँ एवं उनकी लोक संस्कृति	प्रो.अनुराधा सिंह, प्रोफेसर प्रवीण कुमार मिश्र, शोधार्थी	9
5	बदलते शिक्षा परिदृश्य में एलएमएस के निहितार्थ	डॉ. सुदीप्त अधिकारी डॉ. परमिता भट्टाचार्य	12
6	कश्मीरी साहित्य में दलित महिला	डॉ. प्रियाशा कौल	15
7	FORENSIC SCIENCE AND IT'S EVIDENTIARY VALUE IN CRIMINAL LAW	Sachin Bharti Research Scholar Dr. Inderpreet Kaur Narang Assistant Professor,	17
8	ओ.वी. विजयन के "खसाक की किंवदंतियाँ" और "धर्मपुरी की गाथा" शोध संस्कृति का चित्रण : एक अध्ययन	सिमरन यादव (पीएच.डी. शोधार्थी) डॉ. नवीन कुमार मेहता (डीन अकादमिक्स : प्रोफेसर)	22
9	MICROFINANCE AND ITS ROLE IN FINANCIAL INCLUSION IN INDIA	Ms. Tanvisha Tiwari	24

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम – आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.– 63040357829
बैंक – भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा– फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

बौद्ध धर्म बुद्धिवादी है, समता प्रधान है तथा परिणाम की दृष्टि से अधिक कल्याणकारी है। बौद्ध धर्म नैतिकता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर के लिये स्थान नहीं है, ईश्वर के स्थान पर यहां नैतिकता है। अन्य धर्मों में जहां ईश्वर है वहीं बौद्ध धर्म में नैतिकता है। बुद्ध ने जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कर्मकाण्ड के लिये स्थान नहीं है। कर्म के स्थान पर नैतिकता के अर्थ में उन्होंने धर्म को माना। यद्यपि धर्म शब्द ब्राह्मण व बुद्ध द्वारा प्रयुक्त हुआ, किंतु दोनों के प्रयोग में मूलतः अन्तर है। यथार्थ में बुद्ध संसार के प्रथम शिक्षक थे जिन्होंने नैतिकता को धर्म की नींव और सार बताया।

कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किए जाने वाला 'कर्म' और 'विपाक' का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा (अकुशल) कर्म करता है, यदि नैतिक क्रम अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आदमी भला (कुशल) कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कम्म (कर्म) की ही बात नहीं कही, उन्होंने कम्म (कर्म) नियम की भी बात कही है—अर्थात् कर्म के कानून की। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे रात—दिन का करती है। यह एक कानून है।

कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिये तथागत बुद्ध की देशना थी : ''कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभांवित हो, अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उसके कारण मानवता दुखी हो।''

तथागत बुद्ध के मतानुसार दुख का अर्थ ऐहिक दुख होता है, तथा बुद्ध के वचनों में इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। अन्य धर्मों के समान बौद्ध धर्म आत्मा तथा परमात्मा के संबंध पर आधारित नहीं है उसका अधिष्ठान जीवनानुभूति है।

स्वामी विवेकानन्द अपने एक व्याख्यान में 'बुद्ध' शब्द का अर्थ बताते है—'बुद्ध यानी अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान।'

बुद्ध का सारा जीवन मनुष्य समाज की शांति की दीर्घकालीन खोज रहा है। वे आज भी दुनिया के समस्त मानव मात्र को खुला आमंत्रण देते हैं कि—''मैं तुम्हें रास्ता दिखला सकता हूँ, लेकिन रास्ते पर चलना और चलने का ढंग या कितनी दूर चलना है, यह तय करना तुम्हारा काम है। अपने भीतर झांककर देखो क्योंकि यह दिखानेवाला प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है।'' विवेकानन्द अपने व्याख्यान में कहते हैं कि ''मैं जीवन भर बुद्ध का परम अनुरागी रहा हूँ और उनके चरित्र के प्रति सबसे अधिक श्रद्धा रखता हूँ। वह है उनका साहस, निर्भीकता और मनुष्य मात्र के लिये विराट प्रेम।''

महाकारुणिक बुद्ध ने लोगों को यह कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो, तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय—संगत, धर्म—संगत व्यवहार करना होगा। तथागत के धर्म में 'पंचशील' पर जोर दिया गया है, 'अष्टांगिक मार्ग' पर जोर दिया गया है और 'पारमिताओं' पर जोर दिया गया है। यह एक ऐसी जीव विधि है कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है।

– डॉ. तारा परमार

डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनका पर्यावरण चिंतन

— डॉ. पार्वती गोसाई

भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा पर आधारित है। किसी विशेष भू—भाग की सीमाओं से परे पूरे विश्व को परिवार मानने की इस संकल्पना में ही हमारे सांस्कृतिक प्रवाह को गहरे से अनुभूत किया जा सकता है। यजुर्वेद में प्रार्थना है —

'वयम राष्ट्रे जाग्र याम पुरोहिताः'

अर्थात् हम अग्रगामी पुरोहित बनकर राष्ट्र का जागरण करें। राष्ट्रवाद का मूलाधार यही भारतीय संस्कृति है। राज्य या कोई विशेष विचारधारा का यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसीलिए सर्वधर्म, जाति से ऊपर उठकर सोचने की मानसिकता तथा जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीने की चाह रखने वाले कल्याणकारी विचार को ही स्थान है। भारतीय संस्कृति वृक्ष में भी देवता का वास देखती है अतः हमारे यहाँ सबके कल्याण की बातें हमेंशा स्वीकृत रही । डो. बाबासाहब अम्बेडकर ने मानव जीवन को अविभाज्य मानकर उसकी समग्रता पर बल दिया तथा जीवन का कोई पक्ष अधूरा नहीं छोड़ा । न्याय के प्रभारी डॉ. अम्बेडकर दलित मानव कल्याण के मूलभूत सिद्धान्त को अपनाकर उनमें जागृति पैदा कर समाज के प्रतिनिधि बन गए। इसीलिए वे मानव से भी ऊपर उठकर चराचर जगत के लिए भी कुछ सकारात्मक सोच सकें। उनका पर्यावरण सम्बन्धी चिंतन आज हमें प्रेरणा देता है।

आज जब पूरा विश्व 'ग्लोबल वोर्मिंग' से परेशान है, तब हमें उसके निराकरण ढूँढने के लिए भारतीय ज्ञान संपदा एवं विचारकों को पढ़ना पढ़ता है। पिछले दो दशकों में देश—विदेश में डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर विशद विचार एवं शोध हुए हैं। इनमें दलित उद्धार, दलित स्त्री, पूँजीवाद, राजनीति आदि पर तो ज्यादातर ध्यान गया ही हैं, पर उनके कृषि, पर्यावरण, जीवदया आदि पर दिए गए विचारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। देश के पर्यावरण—विचारकों ने महात्मा गांधी के पर्यावरण सम्बन्धी विचारों को अधिक महत्व दिया है । पर पर्यावरण सम्बन्धी अम्बेडकर के चिंतन पर भी बात होनी चाहिए। अम्बेडकर को आधुनिकता और विज्ञान का पक्षधर माना गया, पर पर्यावरण के प्रति उनके गहन लगाव को भी उन्होंने बताया है। इस लेख में मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि अम्बेडकर के पर्यावरण—सम्बन्धी विचारों पर फोकस करके हम न केवल अम्बेडकर के बारे में ज्यादा गहरी और जटिल समझदारी हासिल कर सकते हैं, बल्कि दलित नजरिए से पर्यावरणवाद की समझदारी भी बना सकते हैं। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और अम्बेडकर के अन्तर्सबन्धों के जरिए हम पर्यावरण—न्याय का परिप्रेक्ष्य भी खोज सकते हैं।

अम्बेडकर के लिए जाति ने प्रकृति को गढा था; जैसे कि पानी की एक अलग जाति थी और वह दलित के स्पर्श से ही प्रदूषित हो जाती थी। अम्बेडकर के लिए ग्रामीण और शहरी भारत के पर्यावरण—सरकारी भवनों, घरों, स्कूलो, गलियों और मुहल्लों का परिदृश्य—दलित दमन के केन्द्र थे। अम्बेडकर के लिए प्राकृतिक दुनिया का मानवीय दुनिया से कोई अलग अस्तित्व नहीं था। उनके पर्यावरण के प्रति प्रेम को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनके पास यदि एक पैसा भी होता तो वे उसे नए पौधे खरीदने में खर्च कर देते। वे समस्त जीवों के प्रति करुणा रखते थे। 'कभी अपने पालतु कुत्ते की बीमारी पर शोक सन्तप्त माँ की तरह दुखी हो जाए।"[1] प्रकृति के बारे में अम्बेडकर की समझदारी काफी जटिल थी। अम्बेडकर के विचारों में प्रकृति का सामाजिकीकरण अपरिहार्य तत्व था। अम्बेडकर अपने संपूर्ण जीवन में प्रकृति के तीन जटिल अन्तर्सम्बन्धित पहलूओं को समझाते रहे।

एक था प्रकृति का बाह्य स्वरुप, यानी खुली—सीधी भौतिक दुनिया जिसके साथ समाज की अन्तक्रिया से भौतिक उत्पादन का मजबूत आधार कायम होता है ।

इस क्रिया से प्रकृति का मजबूत आधार कायम होता है। इस क्रिया से प्रकृति का उद्देश्यपूर्ण रूपान्तरण होता है। अम्बेडकर ने प्रकृति के इस बाह्य स्वरुप को पृथ्वी से उपयोगी पदार्थ देने के स्त्रोत के रूप मे देखा–जैसे मिट्टी, जल या शिकार प्राप्त करना अथवा माटीगिरी, पशुपालन, खनन या लकडी काटना। दूसरा था सार्वजनिक प्रकृति, यानि प्राकृतिक और देवी समझी जानेवाली धार्मिक संरचना। अम्बेडकर के अनुसार 'यह हिंदुओं का ईश्वरीय शासन है जो लिखित रुप से संहिताबद्ध है... एक दैवीय संहिता जो बेहद विस्तार और बारीकी से हिन्दूओं के धार्मिक, कर्मकांडी और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के तौर–तरीके तय करती है। तीसरा था सामाजिक प्रकृति–यानी सामाजिक बहिष्कार की प्रकृति जिसमें पारम्परिक का प्राकृतिक के साथ गठबंधन होता है, और प्रकृति बहिष्कार, भेदभाव और अन्याय का सत्कार करती है। अम्बेडकर के अनुसार मानव की अवधारणा प्राकृतिक समानता पर आधारित है जो उसे प्रकृति को निर्मित और पुननिर्मित करने की क्षमता देती है। अम्बेडकर की द्वन्द्वात्मक दृष्टि के लिए मानव के अन्तर्गत प्रकृति निहित है और प्रकृति सामाजिक सम्बन्धों से संचालित है। अम्बेडकर ईश्वर, समाज और मनुष्य के बीच के सम्बन्धों के बारे मे एक गहरी आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं और यह तीखा सवाल उठाते हैं कि क्या पर्यावरण इनमें सबसे ऊपर हो सकता है ? खेती को भी उन्होंने इसका मजबूत आधार माना है। उन्होंने उद्योग, विज्ञान, तकनीक, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, विकास और नियोजन पर काफी विचारविमर्श किया। देश की कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ जैसे कि दामोदर, महानदी और सोन और दक्कन की नदियों के विकास की परियोजनाएँ बनाने में अम्बेडकर की अग्रणी भूमिका थी। इनसे साबित होता है कि वे विकास को भी मानते थे, पर एक तरफ वे प्रकृति को बचाये रखने के पक्ष में भी थे। भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच समन्वयवादी दृष्टिकोण ही उनकी पर्यावरण चिंतन की विशेषता थी। अम्बेडकर को पर्यावरणीय चश्मे से देखते हुए यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम सामाजिक, भौतिक और प्राकृतिक दुनिया के आपसी सम्बन्धों को स्वीकार करें। अम्बेडकर के लिए विकास प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया का विध्वंस और निर्माण दोनों है।

– डॉ. पार्वती गोसाई
असि. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
वल्लभ विद्यानगर,
सम्पर्कः 9773230579

संदर्भ :

(1) डॉ. अम्बेडकरः एक प्रेरक जीवन, संपादकः रत्नकुमार सांभरिया, प्रकाशकः बुद्दण पब्लिशर्स, जयपुर
(2) डॉ. अम्बेडकर और राष्ट्रवाद, संयोजनः वसंत कुमार, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
(3) सामाजिक न्यायः अम्बेडकर–विचार और आधुनिक संदर्भ, लेखकः सुधांशु शेखर, प्रकाशकः दर्शना पब्लिकेशन, भागलपुर, बिहार

महासागर हथियाना : छोटे पैमाने के मछुआरों की आजीविका के परिप्रेक्ष्य में

– डॉ सुभाष भिमराव दोंदे

सारांश

दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में – महासागर जलवायु परिवर्तन से लेकर वाणिज्यिक गतिविधियों तथा लोगों की खाद्य आपूर्ति और आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किन्तु बरसों से चले आ रहे नरकेन्द्रित असंधारणीय समुद्री गतिविधियों के चलते एक तरफ इस पारिस्थितिक तंत्र का पतन हुआ है, तो दूसरी तरफ मत्स्य संसाधनों का अत्याधिक दोहन हुआ है। विकास के नाम पर नीली अर्थव्यवस्था से मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ऊर्जा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र खनन उद्यम, और औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ और जलीय कृषि के हितधारक – पूंजीवादी कॉरपोरेट सेक्टर के रूप में नव–औपनिवेशिक ताकतें

तेजी से महासागर के संसाधनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। महासागरों का पण्यीकरण (कमोडीफिकेशन) करने वाले नीतिगत प्रावधान विश्व में कही भी छोटे पैमाने के मछुआरों और हाशिये पर स्थित तटीय समुदायों के हित मे नही है, क्योंकि यह उनके मानवाधिकारों, रीति–रिवाजों और प्रथाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित नहीं करते है। जबकि संधारणीयता के परिपेक्ष्य में इस विशाल पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते समय सामाजिक न्यायसंगतता या निष्पक्षता (इक्विटी) की अनदेखी नही होनी चाहिए। इसलिए छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए विशेष अपवर्जित कुटीर (आर्टिसनल) मछली पकड़ने के क्षेत्र बनाना चाहिये और औद्योगिक बेड़ों द्वारा इन आरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुँचाने वाली और जैव विविधता का विनाश और उसके जरिए तटीय समुदायों के आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकास परियोजनाएं शुरू करने से बचना चाहिए।

(**मूल शब्द** : नीली अर्थव्यवस्था, महासागर पण्यीकरण, छोटे पैमाने के मछुआरें, सतत विकास लक्ष्य, सामाजिक न्यायसंगतता)।

प्रस्तावना

पृथ्वी की सतह के लगभग तीन–चौथाई हिस्से पर फैला महासागर दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य और सुरक्षा जैसे परस्पर विकास के मुद्दों के साथ साथ तीन अरब लोगों की नौकरियां और 350 मिलियन लोगों की आजीविका बनाए रखने में योगदान देता हैं।[1] इसके अलावा ऑक्सीजन प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रच्छादित (सीक्वेस्टर) करके जलवायु को विनियमित करना, वायुमंडल में जमा होने वाली 93% गर्मी को अवशोषित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा करना, आदि महासागरों से मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं वैश्विक पर्यावरणीय गतिशीलता के लिए भी प्रमुख हैं। किंतु बरसों से चले आ रहे नरकेन्द्रित असंधारणीय समुद्री गतिविधियों के चलते भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि या जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, अजैविक समुद्री संसाधनों का अस्थिर निष्कर्षण तथा भौतिक परिवर्तन, समुद्री और तटीय आवासों और परिदृश्यों का विनाश, सुपोषण (यूट्रॉफिकेशन), समुद्री अम्लीकरण द्वारा एक तरफ इस पारिस्थितिक तंत्र का पतन हुआ है, तो दूसरी तरफ मत्स्य संसाधनों का अत्याधिक दोहन हुआ है।[2]

उभरती नीली अर्थव्यवस्था में सिर्फ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से महासागर अब नए उद्योजकों और नए उद्योगों की असाधारण विविधता से अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र खनन उद्यम, और मछली पकड़ और जलीय कृषि के हितधारक तेजी से महासागर के संसाधनों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक कार्बन बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वनों का घेरा हो, तेल भंडार और समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने की होड़ हो, या नए क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास हो, महासागरों का पण्यीकरण या वस्तुकरण (कमोडीफिकेशन) तेजी से हो रहा है। नीली अर्थव्यवस्था का योगदान 2010 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 3.0 ट्रिलियन डॉलर होने का 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' (OECD) का अनुमान इसी बात का संकेत दे रहा है।[3]

भारत के संदर्भ में नौपरिवहन (शिपिंग), पर्यटन, मत्स्य पालन और अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण सहित कई क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। नौ तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7,500 किमी से अधिक लंबी तटरेखा के साथ, भारत की नीली अर्थव्यवस्था नौपरिवहन के माध्यम से देश के 95% व्यापार का समर्थन करती है और इसके

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमानित 4% का योगदान देती है। भारत में समुद्री मत्स्य पालन पर मौजूदा सरकार के नई राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को कोटा नीलाम करके समुद्री संसाधनों से किराया अर्जित करना है और फिर मुक्त बाजार को हार्वेस्ट और व्यापार को विनियमित करने की अनुमति देना है। यह नीति के प्रावधान छोटे पैमाने के मछुआरों के हित मे नही है, क्योंकि यह उनके मानवाधिकारों, रीति– रिवाजों और प्रथाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित नहीं करते है।[4]

विचार विमर्श

छोटे पैमाने के मछुआरे एवं तटीय समुदाय अपनी जीवन शैली, सांस्कृतिक पहचान और आजीविका के लिए युगों से महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। भूमि संसाधन हड़पने और उनके अत्याधिक दोहन के उपरांत, अब पूंजीवादी कॉरपोरेट सेक्टर के रूप में नव–अ – औपनिवेशिक ताकतें अपनी शोषक नीतियों के चलते नीली अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित होकर महासागरों, तटीय समुद्र और इस पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संसाधनों को घेरने और उसे हथियाने में लगी है। महासागरों को हड़पना मुख्य रूप से अनन्य नीतियों, और कानूनों के माध्यम से हो रहा है, जो हाशिये पर स्थित इन देशज समुदायों से दूर मत्स्य संसाधनों की पहुंच, उपयोग और नियंत्रण को पुनः परिभाषित और पुनःआवंटित कर रहा हैं। इस प्रकार महासागर को हथियाने का अर्थ है– महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सक्षम लोगों द्वारा मत्स्य तथा अन्य समुद्री संसाधनों की खपत को नियंत्रित करके उनपर कब्जा कर लेना – जिसमें यह तय करने की शक्ति भी शामिल है कि समुद्री संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन वर्तमान और भविष्य में कैसे और किन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। निजीकरण और व्यावसायीकरण की इस क्रमिक प्रक्रिया के लाभार्थी देश के पूँजीवादी उद्योगपति, कॉरपोरेट सेक्टर और उनके हित मे काम करने वाले राजनेता है। वैश्विक स्तरपर पश्चिमी लोकतंत्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका और विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस समुद्री संसाधनों के पुनर्निर्यतन के प्रमुख प्रवर्तक और लाभार्थी हैं।[5]

सावधानी के बिना महासागरों का पण्यीकरण पहले से ही परिसंस्था के निम्नीकरण के अत्यधिक बोझ से दबे समुद्री पर्यावरण और संसाधनों पर गहरा प्रभाव डालेगा। प्रमुख चर्चायें जो नीले विकास को अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों लिए फायदेमंद मानती हैं, लाभ के असमान वितरण को कम करने में विफल रहेगी। यदि पर्याप्त 'नियंत्रण और संतुलन' नहीं रखा गया तो पारिस्थितिक एवं सामाजिक नुकसान की संभावनाएं कई गुना बढ़ेगी। इस पृष्ठभूमि में कई दक्ष नागरिक समाज संगठन, महासागरों में विकास के परिणामस्वरूप होने वाले 'समुद्र हड़पने' और 'नीले न्याय' मुद्दों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। शोधकर्ता औद्योगिक मत्स्य पालन, तेल और गैस विकास और नीले कार्बन बाजारों सहित समुद्र आधारित विकास गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक अन्याय का भी दस्तावेजीकरण कर रहे हैं।[6]

अवैध मछली पकड़ के पैमाने का अनुमान 10–28 मिलियन टन तक है, जबकि लगभग 7.3 मिलियन टन – वैश्विक पकड़ का 10: – हर साल फेंक दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि जैसे–जैसे मछलियाँ कम प्रचुर मात्रा में होती जा रही हैं, औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले जहाज नियमों और संरक्षण रणनीतियों से बचने के लिए प्रलोभित हो रहे हैं। दशकों से विदेशी दूर–दराज के ट्रॉलर्स (फिशिंग फ्लिट्स) कानूनी और आपराधिक तरीकों और समझौतों के माध्यम से पूरे अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में छोटे पैमाने के मछुआरों और तटीय समुदायों से मत्स्य संसाधनों को हथियाने में व्यस्त हैं। उनकी गतिविधियों को नियंत्रित

करने वाले लाइसेंस और अभिगम (एक्सेस) समझौतों को तत्काल संशोधित किया जाना चाहिए। अवैध और असूचित मछली पकड़ से निपटने के लिए मजबूत निरीक्षण तंत्र को शामिल करना इन समझौतों के लिए आवश्यक है। स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मत्स्य पालन और छोटे पैमाने के मछुआरों की भूमिका का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य होना चाहिये। ये मछली पकड़ने वाले जहाजों पर श्रम अधिकारों को मजबूत करना और केवल मानवाधिकार प्रभाव आकलन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।[7]

महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 14 (जल के नीचे या जलीय जीवन) के तहत संयुक्त राष्ट्र – इस बात पर जोर देता है कि नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते समय न्यायसंगतता या निष्पक्षता (इक्विटी) को नहीं भूलना चाहिए।[8] जल, भूमि और संसाधन अक्सर समुदायों के होते हैं, और समुद्र पर निर्भर समुदायों के हितों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ाने की होड़ में तटीय पर्यटन या औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ जैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले असंधारणीय नीतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए एसडीजी–14 परिप्रेक्ष्य में नीली अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) को बढ़ावा देते समय संधारणीय विकास के दो अन्य स्तम्भ इकोलॉजी (पारिस्थितिकी) तथा इक्विटी (सामाजिक न्याय) की अनदेखी नही की जानी चाहिए तथा एसडीजी – 14 की उपलब्धियां अन्य सतत विकास लक्ष्यों के प्रतिकूल या अन्तर्विरोधी नही होनी चाहिए।

निष्कर्ष –

विश्व मे कुछ स्थानीय समुदायों ने सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण विकसित किए हैं। वे अपने स्वयं के नियम निर्धारित करते हैं कि संसाधन तक किसकी पहुंच है? इसे कैसे और कितनी मात्रा में पकड़ा जा सकता है? और उल्लंघन होने पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे ? मत्स्य क्षेत्र के राज्य विनियमन के तहत अक्सर देखी जाने वाली विफलता के विपरीत, सामुदायिक प्रबंधन मत्स्य भण्डार (स्टॉक) के संरक्षण और पैदावार को बनाए रखने में अत्यधिक प्रभावी है। सामुदायिक मत्स्य पालन में स्थानीय समुदायों को आर्थिक, सामाजिक, और पारिस्थितिक लाभ देने और संधारणीय मत्स्य पकड़ और आजीविका के परिणामों में सुधार करने की, तटीय समुदायों की गरीबी को कम करने, सामाजिक न्याय बढ़ाने, महिलाओं को समर्थ बनाने की क्षमता है।

महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों को एक पण्य–वस्तु (कमोडिटी) ना समझकर इसे संधारणीय तरीके से उपयोग तथा प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नीली अर्थव्यवस्था समुद्र विज्ञान के दायरें में कई क्षेत्रों पर आधारित है और इसलिए, अंतर–क्षेत्रीय विशेषज्ञों और हितधारकों की आवश्यकता है। समावेशी चर्चा के लिए छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों, देशज तटीय लोगों और समुदायों को शामिल करना अनिवार्य है। छोटे पैमाने के मछुआरों एवं अधिकारहीन तटीय समुदायों के लिए विशेष अपवर्जित कुटीर (आर्टिसनल) मछली पकड़ने के क्षेत्र बनाना चाहिये और औद्योगिक बेड़ों द्वारा इन आरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुँचाने वाली सभी बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएं शुरू करने से बचना चाहिए, जो जैव विविधता का विनाश करती है और छोटे पैमाने के मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

– डॉ सुभाष भिमराव दोंदे
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संलग्न
किर्ती कॉलेज (स्वायत्त), दादर (प.) मुंबई – 400028.
WhatsApp No : 9869556607

संदर्भ :

1. Roy Aparna (18th Jan; 2019) Blue Economy in the Indian Ocean: Governance perspectives for sustainable development in the region https://www.orfonline.org/research/blue-economy-in-the-indian-ocean-governance-perspectives-for-sustainable-development-in-the-region
2. European Environment Agency (19th Dec; 2023) How climate change impacts marine life https://www.eea.europa.eu/publications/how-climate-change-impacts
3. The London School of Economics & Political Science (16th May 2023) What is the blue economy? https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-role-of-the-blue-economy-in-a-sustainable-future/
4. Kurien John (8th July 2017) Small-scale fishermen form the backbone of India's fisheries sector, but the policy is silent on them. https://scroll.in/article/842300/small-scale-fishermen-form-the-backbone-of-indias-fisheries-sector-but-policy-is-silent-on-them
5. Nathan J. B., and *et al.*, (July 2015) Ocean grabbing ***Marine Policy***, Vol. 57, Pp: 61-68. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X15000755
6. Nathan J. B., and *et al.*, (2021) Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy, ***Marine Policy***, Vol.125. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387
7. Davies R.W.D., and *et.al.*, (2009) Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy, doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003 https://assets.wwf.org.uk/downloads/bycatch_paper.pdf
8. The global goals 14- Life below waters https://www.globalgoals.org/goals/14-life-below-water/

बदलते परिदृश्य में मिर्जापुर की आदिवासी जनजातियाँ एवं उनकी लोक संस्कृति

– प्रो.अनुराधा सिंह, प्रोफेसर

–प्रवीण कुमार मिश्र, शोधार्थी

शोध सार : परंपरा एवं आधुनिकता के बीच में आज समाज व समाज का आधारभूत ढांचा खड़ा है। वर्तमान में भौतिक संसाधनों की घुसपैठ कमोबेश समाज के हर तबके के बीच में हो चुकी है। समाज का एक बड़ा वर्ग समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी की जद्दोजहद की मार झेल रहा है। इन परिस्थितियों में समाज की मुख्य धारा से अलग जनजातीय समुदाय एवं उनकी लोक सांस्कृतिक परंपराए भी गहरे रूप से

प्रभावित हुई हैं। अगर हम बदलते हुए परिदृश्य में जनजाति समाज की आधारभूत संरचना को देखें तो आधुनिकता उनके लिए एक सिनेमा है और परंपरा उनके लिए एक औपचारिकता है। प्रस्तुत शोध आलेख में जनपद मिर्जापुर के जनजाति समाज की परंपरा एवं बदलते परिदृश्य के साथ उनमें होने वाले आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

शब्द संकेत : मिर्जापुर, जनजाति, लोक परंपरा, आधुनिकता, परिवर्तन, लोक संस्कृति, औपचारिकता, परिदृश्य, सरकारी योजना, जागरूकता।

मूल आलेख : मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। भौगोलिक रूप से गंगा–सोन नदी व विंध्य कैमूर पर्वत घाटियों के बीच में मिर्जापुर जनपद एक प्रागैतिहासिक स्थल भी है। मिर्जापुर दो राज्यों बिहार एवं मध्यप्रदेश सटा हुआ है। दूसरी ओर उत्तर में वाराणसी (बनारस), पश्चिम में प्रयागराज (इलाहाबाद), पूर्व में चंदौली और उत्तर पूर्व में संत रविदास नगर भदोही जनपद से सटा हुआ है।[i] ब्रिटिश काल में मिर्जापुर को 1795 ई. में बनारस जनपद से पृथक कर एक स्वतंत्र जनपद के रूप में स्थापित किया गया।[ii] 4 मार्च 1989 ई. में मिर्जापुर के बड़े भाग को पृथक कर सोनभद्र जनपद स्थापित की गई है। मिर्जापुर में राजगढ़ ब्लॉक, पटेहरा ब्लॉक, हलिया ब्लॉक एवं जमालपुर ब्लॉक ऐसे हैं, जहाँ जनजाति समुदायों की संख्या पर्याप्त है। 2011 के जनगणना के अनुसार मिर्जापुर में आदिवासियों की संख्या 0.81 प्रतिशत के लगभग है। मिर्जापुर में मुख्य रूप से मुसहर, कोल, गोंड, पनिका एवं बहुत कम संख्या में बिंन जनजाति के लोग रहते हैं।[iii]

मिर्जापुर में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। गोंड की उत्पति गोंडवाना क्षेत्र में हुई, इस क्षेत्र का नामकरण भी गोंड जनजाति की प्रधानता के कारण हुआ है।[iv] अविभाजित मिर्जापुर (जिसमें सोनभद्र भी सम्मलित था) में गोंडों की लगभग 70,000 आबादी थी। मिर्जापुर के कोटवा, अटारी व हलिया ब्लॉक में इनकी जनसंख्या है। वेरियर एल्विन ने इन्हें भूमिजन के नाम से भी सम्बोधित किया है।[v] ये मुख्यतः दो उपजातियों में विभाजित हैं, राजगोंड व घुरगोंड लेकिन कुल 51 उपजातियों समूहों में इनको देखा जा सकता है।[vi] इनका पारंपरिक पेशा शहद व जड़ी बूटियां निकालना था। जंगली पेड़ों के पत्तों का साग व शराब इनका मुख्य भोजन रहा है। गोंड लोग मनोरंजन के लिए लोक नृत्य करते थे, उस दौरान मोर का पंख अपने सर व बालों में लगाते थे।[vii]

विंडम फाल के बगल में कोटवा गाँव में लगभव 35 घर गोंड आदिवासी लोग रहते हैं। वहीं, अटारी गाँव में भी 15 परिवार गोंडों का है, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में छिटपुट आबादी गोंडों की पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वे के दौरान पता चला कि ज्यादातर लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं से दूर रोजगार के लिए सामान्य पेशा को अपना रहे हैं। कोटवा के गोंड लोग विंडम फाल में जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए चाय–नाश्ता, पानी की सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में स्थानीय राजनीति में गैर आदिवासी समुदायों का वर्चस्व है, इसलिए सरकारी सुविधाओं में उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है।

गोंडों के बाद मिर्जापुर जनपद में सोनभद्र से पृथक होने के बाद सबसे ज्यादा आबादी कोल जनजाति की है। अटारी, कोटवा, दीपनगर व कोलना प्रमुख कोल बाहुल्य गाँव देखने को मिलते हैं। मिर्जापुर के जानकार इतिहासकार अर्जुन दास केशरी लिखते हैं कि कोल मध्यप्रदेश के जंगलों के मूल निवासी थे, बाद में पानी व भोजन की तलाश में ये लोग सोन घाटी की ओर कूच करते हैं।[viii] जानवरों का शिकार, कंदमूल व कोदू चावल इनका मुख्य आहार हुआ करता था। विंध्य चित्रकला पर काम करने वाले प्रख्यात विद्वान डॉ. जगदीश गुप्त ने लिखा है कि मिर्जापुर स्थित विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण कोल राजाओं के द्वारा किया गया।[ix] विलियम क्रुक ने कोलों की लोक परंपरा के बारे में अपनी पुस्तक ट्राइब एंड कास्ट इन नॉर्थरन इंडिया के तीसरे खण्ड में मिर्जापुर के कोलों की परंपराओं के बारे मे लिखा है कि 'मिर्जापुर के कोल सूर्य पूजा नहीं करते बल्कि यहाँ के कोल पुरुष व महिलाओं की आत्मा की

पूजा करते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। उन्होंने यह भी लिखा है कि मिर्जापुर के कोल बैगा जनजाति की सहायता से भूतों की पूजा करते थे।[x] कोटवा गाँव में लगभग 30 घर कोल जनजाति के हैं। पूरे तौर पर कोल कृषि मजदूरी एवं ग्रामीण मजदूरी पर जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ कोलों की एक सबसे महत्वपूर्ण शिकायत जल आपूर्ति को लेकर है। कोटवा के अतिरिक्त कोल अटारी व दीपनगर में भी हैं। यहाँ 38 कोल परिवार निवास करते हैं। परंपरा एवं आधुनिकता के बीच में कोल जनजाति आज भी आर्थिक व सामाजिक रूप से संघर्ष कर रही है।

विलियम क्रुक पनिका को मूल मिर्जापुर की जनजाति मानते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह लोग सोन, रेणु व विजुल नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, इसलिए पानी के करीब रहने के कारण इनको पनिका कहा जाता है। मिर्जापुर में पनिका लोग पटेहरा ब्लॉक और हलिया ब्लॉक में पाए जाते हैं। पटेहरा में सिरसी मोड़ के पास कुल 7 परिवार पनिकाओं से बात करने पर पता चला यह लोग मूल रूप से यहाँ के रहने वाले नहीं थे। पारंपरिक रूप से पनिका शिल्प व्यापार करने वाली जनजाति है। काष्ठ कला में दक्ष पनिका लोग चरखे, मचिया, कुर्सी–मेज तथा खटिया बनाने का कार्य करते थे। पनिकाओं के सम्बंध में डॉ.शिव कुमार तिवारी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी नामक पुस्तक में उध्दृत किया है :–

पानी से पनिका भए, बूदन रचे शरीर,
आगे–आगे पनिका भए, पीछे दास कबीर ।।[xi]

मिर्जापुर की जनजातियों में मुसहर एक और प्रमुख जनजाति है। बहुत से विद्वान मुसहरों को जनजाति का नहीं मानते, लेकिन विलियम क्रुक ने मुसहर को एक प्रमुख जनजाति माना है। मुसहर लोग दोना–पत्तल बनाने, पहले के जमाने में पालकी ढोने का काम करते थे। शहद निकालने का पेशा भी पहले मुसहर लोग करते थे। मुसहर कद के नाटे होते हैं और इनका चेहरा चिपटा हुआ होता है। मुशहर लोग पहले नग्न अवस्था में रहते थे, लेकिन आम समाज के सम्पर्क में आने से अब कपड़े पहनते हैं। विलियम क्रुक मुसहर को घुमंतू जनजाति बताते हैं, लेकिन वर्तमान में मुसहर लोग स्थायी जीवन जीते हैं।[xii]

मिर्जापुर में प्राप्त अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे ज्यादे दयनीय स्थिति मुशहरों की है। इनकी आबादी इतनी बिखरी हुई है कि कोई बाहुल्य गाँव न होने के कारण इनका कोई नेता भी नहीं है। राजगढ़ ब्लॉक में बकियाबाद और धूपगंज, जमालपुर ब्लॉक में मौजडीह, अदलहाट, बिसुनपुरा व नरायनपुर ब्लॉक में हटिया, दर्रा, प्रतापपुर व नारायन बाजार में रहते हैं। ज्यादातर मुसहर लोग धान कट जाने के बाद खेतों में धान के गिरे हुए अनाज (बाल), बिनने का काम करते हैं। मुस को मार कर चावल व मुस भूंज कर खाते हैं। उन्होंने बताया कि पत्तल–दोना जब से बाजारों में गत्ते और प्लास्टिक के आने लगे तब से उनका स्वरोजगार लगभग खत्म हो चुका है। मकान आज भी झोपड़ी (मड़ई) का ही है। ये लोग आज भी चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाते हैं।

निष्कर्ष :

जनजातियों का इतिहास एवं लोक संस्कृति की पढ़ाई और उनके बीच में जाकर जो समझ विकसित होती हैं, उनमें बड़ा ही अंतर है। बदलते हुए परिदृश्य में जनजाति समाज की लोक परंपरा एवं लोक संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनके सामाजिक जीवन व आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो लोग कल जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे, वही लोग आज सप्लाई के पानी, अस्पताल और जमीन पर सरकारी आवास बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनजाति समुदायों के बीच में भी निम्न आर्थिक स्थिति और निम्नत्तर आर्थिक स्थिति का फासला है। यह गोंडों और मुसहरों के बीच में देखने को मिला। अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जनजातियों में जागरूकता का अभाव है। आदिवासियों के सामाजिक स्थिति को योजनाओं के तहत परिवर्तित करने का प्रयास भले सरकार कर रही हैं, लेकिन परिस्थिति

– प्रो. अनुराधा सिंह
प्रोफेसर इतिहास विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी–221005

– प्रवीण कुमार मिश्र
शोधार्थी, इतिहास विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी–221005

संदर्भ :

i डी. एल. ड्रैक–ब्रेकमैन, मिर्जापुर गजेटियर, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, 1911, पृष्ठ 10

ii डगलस डेवार, ए हैंड बुक टू द प्री–म्यूटिनी रिकार्ड, गवर्नमेंट प्रेस, 1860, पृष्ठ.358

iii वही, ड्रैक–ब्रेकमैन, पृष्ठ 15

iv एम.ए.सेरिन, हिन्दू ट्राइब एंड कास्ट एज रिप्रेजेंटेड इन बनारस, एशियन एजुकेशनल सर्विस, न्यू दिल्ली,2008, पृष्ठ.178

v. डॉ. अर्जुन दास केशरी, नाचता गाता पहाड़, लोकरुचि प्रकाशन, रोबर्ट्सगंज,सोनभद्र, 2011, पृष्ठ.24

vi एस. डी. सोनकर, उत्तर भारत की आदिम जातियाँ, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ, 2001, पृष्ठ . 09

vii अर्जुनदास केशरी, जनजातियाँ और उनकी लोकवार्ताएँ, साहित्य अकादमी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ 38

viii विलियम क्रुक,नोट्स एंड क्वेरीज ऑफ द नॉर्थरन इंडियारूमंथली पीरियाडिकल, वॉल्यूम 01, क्रम. 01, पायनियर प्रेस, इलाहाबाद, अप्रैल 1891, पृष्ठ.55

ix जगदीश गुप्त, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1967, पृष्ठ.67

x विलियम क्रुक, दी ट्राइब एंड कास्ट ऑफ दी नार्थ वेस्टर्न प्रॉविंस एंड अवध, खण्ड 03, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्ता, 1896,पृष्ठ. 311

xi डॉ.शिवकुमार तिवारी, मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल,2024, पृष्ठ.242

xii वही, अर्जुनदास केशरी, जनजातियाँ और उनकी लोकवार्ताएँ, पृष्ठ. 69

बदलते शिक्षा परिदृश्य में एलएमएस के निहितार्थ

– डॉ. सुदीप्त अधिकारी
और डॉ. परमिता भट्टाचार्य

परिचय

प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा को गहराई से प्रभावित किया है, पारंपरिक शिक्षण विधियों को ऑनलाइन और इंटरैक्टिव प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर दिया है । इस परिवर्तन के केंद्र में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) है, जो अब ऑनलाइन शिक्षा में एक आवश्यक उपकरण बन गया है। (LMS) शिक्षकों और छात्रों के बीच जुड़ाव को बढ़ाता है और दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी बनाता है। यह आलेख उभरते शिक्षा परिदृश्य में (LMS) के प्रभाव का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से भारत में, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP–2020) के तहत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव

भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। NEP–2020 रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देती है, जो छात्रों को जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती है। इस नीति के तहत, शिक्षकों की भूमिका बदल गई है; वे अब केवल ज्ञान प्रदाता नहीं हैं, बल्कि ऐसे वातावरण के निर्माणकर्ता भी हैं जहाँ छात्र स्वतंत्र रूप से विचार विकसित कर सकते हैं। आज की तकनीक संचालित दुनिया में, छात्रों को रोबोटिक्स, कोडिंग और डिजाइन थिंकिंग जैसे कौशलों में पारंगत किया जा रहा है, जो भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक हैं।

शिक्षा में क्रांति

भारत में शैक्षिक क्रांति केवल नए विषयों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है; यह शिक्षा की पद्धति को भी पुनर्परिभाषित कर रही है। शिक्षक अब ज्ञान के संचारक से अधिक ऐसे वातावरण के निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं जो रचनात्मकता और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। इस बदलाव का उद्देश्य कौशल

विकास पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। एक कुशल और रोजगार योग्य कार्यबल बनाने के लिए, शैक्षिक संस्थानों, सरकार, व्यवसायों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है।

आधुनिक शिक्षा में LMS की भूमिका

LMS का एकीकरण शैक्षणिक संस्थानों में आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण से परे है। LMS प्लेटफॉर्म शिक्षकों, छात्रों और प्रशासकों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाते हैं।

सीखने का माहौल बनाना

एक प्रभावी सीखने का माहौल, जिसमें शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थितियाँ शामिल हैं, छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक सेटिंग्स को छात्रों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि एक सहायक और सुरक्षित माहौल तैयार हो सके जो उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ावा दे।

आंतरिक प्रेरणा को प्रोत्साहित करना

विद्यालयों को छात्रों में सीखने का सच्चा प्रेम जगाने का प्रयास करना चाहिए। जब सीखना आनंददायक होता है, तो छात्र अधिक उत्साह से अध्ययन करते हैं, जिससे सीखने में आजीवन रुचि और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

इंटरएक्टिव ई–लर्निंग रणनीतियाँ

शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण में इंटरैक्टिव रणनीतियों को अपनाना चाहिए ताकि छात्रों को सक्रिय रूप से संलग्न किया जा सके। सहकर्मी और शिक्षक की बातचीत छात्रों को प्रेरित करती है और बेहतर शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा देती है।

अंतःविषय शिक्षण

विषय शिक्षण छात्रों के समग्र विकास और उनके विभिन्न क्षेत्रों में रुचि को बढ़ाता है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाने से छात्रों को व्यापक रूप से अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार करने में मदद मिलती है।

ई–लर्निंग में डिजिटल सामग्री

इंटरैक्टिव वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री का पाठ्यक्रम में समावेश ई–लर्निंग को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है। डिजिटल उपकरण छात्रों की जिज्ञासा और उत्साह को जागृत करते हैं, जिससे बेहतर सीखने के परिणाम मिल सकते हैं।

कौशल विकास के लिए LMS

LMS प्लेटफॉर्म अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

LMS की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- **लचीलापन और पहुंच** : 24/7 संसाधनों तक पहुँच, स्व–निर्देशित सीखने को बढ़ावा देती है ।
- **व्यक्तिगत सीखने के रास्ते** : छात्रों की ताकत और कमजोरियों के अनुसार व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है।
- **इंटरएक्टिव सामग्री** : क्विज, सिमुलेशन और वीडियो के माध्यम से छात्र सहभागिता को बढ़ाता है।
- **वास्तविक समय प्रगति निगरानी** : छात्र प्रगति की लगातार निगरानी और समय पर सहायता।
- **सहयोग और संचार** : सहकारी सीखने और प्रभावी संवाद की सुविधा।
- **संसाधन पुस्तकालय** : व्यापक संसाधन पुस्तकालय प्रदान करता है।
- **बैज और प्रमाणपत्र** : विशिष्ट कौशल के लिए बैज या प्रमाणपत्र प्रदान करता है, जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है।

प्रशिक्षकों पर प्रभाव

LMS प्रशिक्षकों को सामग्री वितरण को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें अधिक आकर्षक शिक्षण रणनीतियों और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। LMS द्वारा प्रदान की गई डेटा–संचालित अंतर्दृष्टि

शिक्षकों को संघर्षरत छात्रों की पहचान करने और समय पर सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

संस्थागत दृष्टिकोण

संस्थागत स्तर पर LMS कई फायदे प्रदान करता है :

1. लागत प्रभावशीलता : भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता कम होती है।

2. मापनीयता : बड़े छात्र समूहों को समायोजित करने की क्षमता।

3. गुणवत्ता आश्वासन : शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के उपकरण ।

4. वैश्विक पहुँच : व्यापक और विविध छात्र निकाय तक पहुँच।

5. डेटा – संचालित निर्णय लेना : कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार के लिए विश्लेषण।

LMS को लागू करने में चुनौतियाँ

हालांकि LMS कई लाभ प्रदान करता है, इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं :

1. पहुँच : सभी छात्रों के पास आवश्यक उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2. प्रशिक्षण और सहायता : शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए निरंतर समर्थन।

3. डेटा सुरक्षा : मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता।

4. सामग्री की गुणवत्ता : उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का विकास।

5. रखरखाव और उन्नयन : नियमित अपडेट की आवश्यकता।

निष्कर्ष

आधुनिक शिक्षा में LMS प्लेटफॉर्म का महत्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वे कौशल विकास और आजीवन सीखने को बढ़ावा देते हैं। ये प्लेटफॉर्म लचीले, व्यक्तिगत और प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे छात्र कार्यबल के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाते हैं। शिक्षकों के लिए, LMS सामग्री वितरण को सरल बनाता है और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करता है। संस्थानों को भी लागत प्रभावी और स्केलेबल समाधानों से लाभ होता है। इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए LMS को अपनाना आवश्यक हो गया है, ताकि शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई को पाटा जा सके।

– **डॉ. सुदीप्त अधिकारी,** सहायक प्रोफेसर
कानून विभाग, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, बारासात, भारत

– **डॉ. परमिता भट्टाचार्य,** एसोसिएट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ लॉ, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, बारासात, भारत

संदर्भ :

1. अल्टिनपुलुक, एच., और केसिम, एम. (2021)। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग में प्रवृत्तियों की एक व्यवस्थित समीक्षा। तुर्की ऑनलाइन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, 22 (3), 40–541

2. जंग, आई., और ली, जे. (2020) I MOOC सीखने के परिणामों और उनके मार्गों पर शिक्षार्थी कारकों का प्रभाव। शिक्षा और शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय में नवाचार, 57 (5), 565–576। डोई : 10.1080 / 14703297.2019.1628800

3. सपुत्रो, बी., टॉरटॉप, एच.एस., जुहरी, एम., मंसूर, एम., और सेरोजी, एम. (2021)। वैज्ञानिक व्याख्या सीखने के परिणामों पर सकुरल लर्निंग एप्लिकेशन के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता। जर्नल पेंडिडिकन आईपीए इंडोनेशिया, 10(1), 111–1201 डोई :10.15294 / jpii-v10i1.27677

4. शमी, ए. ए., एनाटोरी, जे. आर., ओसाकी, के. एम., और मृतु, एस. आई. (2020)। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ज्यामिति की समझ को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की खोज करना । अफ्रीका शिक्षा समीक्षा, 17 (4), 17–401 डोई : 10.1080 / 18146627.2020. 1868070

5. तुरान, Y- (2010)। तुर्की के उच्च विद्यालयों में प्रौद्योगिकी संवर्धित इतिहास शिक्षा के लिए छात्रों की तत्परता । साइप्रस जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज, 5(2), 94–1061

6. ओगुगुओ, बी. सी. ई., नन्निम, एफ. ए., आगा, जे. जे. उग्वुआनी, सी. एस., एने, सी. यू., और नजीदीबे, ए. सी. (2021)। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन पर शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का प्रभाव। एडुकइन्फटेक्नोल, 26(2), 1471–1483 | डोई : 10.1007 / s10639–020–10318-w

कश्मीरी साहित्य में दलित महिला

– डॉ. प्रियाशा कौल

सारांश :

यह लेख कश्मीरी लेखक अख्तर मोहिउद्दीन की लघुकथा 'दन्द– वजुन' (दांता किलकिल), के जरिये कश्मीरी समाज में जातिगत कलंक और घोर गरीबी के संयुक्त प्रभाव के सामाजिक, आर्थिक संघर्ष और वंचना की पड़ताल करता है। दलित नायिका अश्मी और उसके पति ब्रीस्तू के माध्यम से, तथा गरीबी, लालच, इर्ष्या और चिंता में फंसे इन दो पात्रों के आसपास के जटिल सामाजिक रिश्तों के माध्यम से, इस लघुकथा में कश्मीरी समाज के एक वर्ग का दुर्लभ और प्रारंभिक चित्रण मिलता है, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से संघर्ष कर रहा है।

मूल शब्द : कश्मीरी साहित्य, लघु कथा, दलित, दलित महिला, गरीबी, वर्ग, घरेलू हिंसा, लिंग, अख्तर मोहिउद्दीन

1955 में लिखी गई लघुकथा 'दन्द–वजुन' अख्तर मोहिउद्दीन[1] की पहली लघुकथा थी। कश्मीरी लघु कथा एक ऐसी विधा है, जिसे विकसित हुए अधिक समय नहीं हुआ, पहली कहानी 1955 में ही श्री दीनानाथ नादिम[2] की 'जवाबी कार्ड' और 1955 में ही जी सोमनाथ जुत्शी[3] की 'येली आव गाश' (जब हुआ उजाला) थी, ये दोनो कहानियाँ प्रगतिशील लेखक फ्रंट की पत्रिका 'कोंग पोश' (केसर के फूल), में छपी थीं। ये कहानियों बकौल कमलेश्वर के यह सीधे–सीधे प्रचारात्मक कहानियाँ हैं–जो कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से कच्ची हैं[4]। लेकिन यही रचनाएँ हमें आगे चलकर गहरे साहित्यिक सरोकारों से जोड़ती हैं, इन दो कहानियों ने साहित्य के लिए प्रगतिशील प्रवृत्ति के निवारण का काम किया है और बाद की अख्तर मोहिउद्दीन की कहानी 'दांता किलकिल' श्रेष्ठ और सार्थक विकास हैं, जहाँ कहानी में गरीबी, दुख, लाचारी और अपमान का एहसास निरन्तर बना रहता है, महिला अश्मी का चरित्र एक खूबसूरत सार्थक चित्रण है। बात पैसों की नहीं परंतु अपमान और लाचारी की है, गरीबी की घनघोर अवस्था में भी ब्रीस्तू जब 25 रु. की मासिक आय का हिसाब देता है तो दयनीयता मुँह फाड़े सामने खड़ी हो जाती है। मुद्दा यह है कि वह महिला जो सिर्फ कश्मीरी खूबसूरती के ही अफसाने लिखने का कारण बन रही थी, अब एक सामाजिक सच्चाई बन के सामने आती है।

ये कहानी सिर्फ किसी एक कालखण्ड पात्र या चरित्र की नहीं, सामाजिक विसंगतियों और अव्यवस्थाओं की है जो एक व्यंग की तरह सामने आती हैं, वो अश्मी जो कहानी के प्रारंभ में अपनी बात कहने के लिए तनकर खड़ी हो जाती है और पिटने और अपमान के बाद भी हार नहीं मानती है, कहानी के अन्त में पति ब्रीस्तू के जरा सा दिल खोलने पर ही 'मेरा बस चले तो बलि के बकरे के स्थान पर मैं इसी को तुम पर कुर्बान करती' कहती है। महिला होना ही अश्मी के लिए पर्याप्त नहीं है, वह एक पूरी मानसिक इकाई है।

अख्तर मुहीउद्दीन की कहानी 'दन्द–वजुन' (दांता –किलकिल) कश्मीर की दलित महिला की प्रथम लघु कथा कही जा सकती है कहानी का प्रारंभ पति–पत्नी की लड़ाई से होता है, लगता है कि बात पैसों की है और सारी लड़ाई पैसों के पीछे हो रही है। लेकिन नहीं, ये तो एक महिला की अपनी स्थिति है जो पत्नी अश्मी और ब्रीस्तू की कथा है, चूल्हे पर पायों से भरी हंडिया उबल रही है और पति पत्नी की लड़ाई बदस्तूर जारी है, लड़ाई में अश्मी पिटती जाती है और चिल्लाती भी जाती है कारण जानने सारा मोहल्ला एकत्र हो जाता है, सलाम डूम, गुल बदमाश, नूर कमाल और बच्चे बूढ़े सभी आ जाते हैं, बूढ़ी महिला खोरशी ब्रीस्तू को समझाने गालियाँ देती आती है। यहाँ पर सभी पूछते हैं कि लड़ाई की आखिर वजह क्या है? लेकिन ब्रिस्तू की गालियाँ और अश्मी की अपशब्दों की बौछार के बीच किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, बार–बार सबके पूछने पर कि आखिर अश्मी का सिर क्यों फोड़ दिया, वह रहस्योद्घाटन करता है कि उसकी 25 रु. की मासिक आय में से बस दस रुपये जमादार साहब की उधारी चुकाई और सात रुपये नूर गल्लादार के दिए जोड़जाड़कर उन्नीस रुपये खर्च हुए और मैं इसके

(अश्मी) के लिए फिरन न ला सका। क्रोध में अश्मी फिर बोली कि "जुआ खेलने को तेरे पास पैसा है, साबिर टुंडा फिर आया होगा"। नहीं कोधित ब्रीस्तू बोला – बचे पाँच रूपये, तीन रूपये खोरशी को दिए जिससे उधार लिया था। अचानक दिया जो जल रहा था गिर कर बुझ गया सबकी नजर अचानक हँडिया पर गई जो इस शोरगुल के बीच वहाँ से गायब थी, काफी खोजने और ढूंढने पर पता चला कि गुल बदमाश हाँडी लेकर भाग गया जिसकी हामी नूर कमाल और नबिर शेख के रसूल ने भी की, सब मिलकर जब गुल बदमाश के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी माँ कसमें खाने लगी कि वो यहाँ नहीं आया लेकिन गुल बदमाश अन्दर बैठकर पायों का स्वाद ले रहा था। घर आकर हंडिया जाने का दुख अश्मी और ब्रिस्तू दोनो को था, पर अब स्थिति ठीक विपरीत थी, सबकुछ गँवाकर अब ब्रिस्तू अश्मी को सिर पर गरम–गरम हल्दी का लेप लगा रहा था।

तीन दलित महिला पात्र हैं। खोरशी, वह स्त्री जो अधिक उम्र की है अपने काम से काम रखती है और समाज में कुछ पैसे उधार चलाती है, पर मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। दूसरी गुल बदमाश की माँ जो अपने बेटे की बुराइयों पर पर्दा डालती है और झूठी कसमें खाती है। तीसरी महिला जो कहानी का केन्द्रीय पात्र है, वह पिटती है, गालियाँ देती है, अधीर होती सामान्य महिला की तरह पति के सामने माँगे भी रखती है और एक अति सामान्य मनुष्य की तरह स्थितियों को कभी खराब तो कभी बेहतर करती है[5]। वैसे तो यह कहानी कहीं की भी, दुनिया के किसी भी स्थान की हो सकती है पर अगर कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो असमान सामाजिक व्यवस्था, एक वर्ग विशेष की दयनीयता लाचारी और अपमान की परिस्थिति को दर्शाती है, जबकि इसमें कुछ क्रूर और खलनायक समान पात्र भी हैं। मगर एक महिला का शोषण और उसकी पल–पल बदलती मानसिक अवस्था का विशेष चित्रण किया गया है।

विशेष बात यह है की ब्रीस्तू को अश्मी को पीटने के बाद भी इसका जरा सा भी एहसास नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है, उसको सिर्फ अपनी बेचारगी और लाचारी उतारने का एकमात्र साधन अश्मी को पीटना और गालियाँ देना लग रहा है, लेकिन अश्मी का मन सहानुभूति चाहता है इसलिए वह चिल्ला–चिल्ला कर मुहल्ला इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह गलत नहीं है। परिवार का एक साँचा जो गरीबी के कारण होता है, क्या कभी एक रूपये के पीछे भी कोई किसी का सिर फोड़ता है? और पकते हुए गोश्त की हंडिया भी कोई चुराता है? जवाब है हाँ, यह भी एक दुनिया है जो मजबूर और लाचार है।

यहाँ अख्तर मोहिउद्दीन की कहानी 'दन्द वजुन' अर्थात (दाँता किलकिल) जिसका अर्थ आपसी बहस तकरार और लगातार होने वाला लड़ाई झगड़ा है जिसमें आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है। कहानी में ब्रीस्तू और अश्मी मुख्य पात्र हैं जिनकी लड़ाई भयंकर रूप ले लेती है। ब्रीस्तू अश्मी को पीटता है क्योंकि ब्रीस्तू को लगता है कि अश्मी की फेरन की माँग नाजायज है उसकी सीमित आमदनी का क्रोध अश्मी पर उतारता है और अश्मी जिसे लगता है कि जान बूझकर ब्रीस्तू उसकी माँग पूरी नहीं कर रहा है वह चिल्लाती है सारा मोहल्ला एकत्र होता है। यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या? अश्मी की चुटिया खींची जाती है, नूर कमाल, खोरशी, गुलबदमाश, रसूल सभी इस आँखों देखे तमाशे के गवाह हैं। पर जैसे ही अश्मी कहती है कि मैं सात भाइयो की बहन हूँ और उनसे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगवाऊँगी की मुझे मारा कैसे, ब्रीस्तू के सिर पर खून सवार हो जाता है और वह अश्मी का सिर फोड़ देता है। बीच बचाव करने पर बताने लगता है कि पच्चीस रुपये पगार में से उसने क्या– क्या और कहाँ–कहाँ खर्च किए और किस तरह वह अश्मी का फिरन न ला पाया तबतक दीया गिर कर बुझा है और चूल्हे पर से पायों की उबलती हंडिया गायब हो जाती है। सभी ढूंढने लगते है कि कही इल्जाम हमी पर न लग जाए लेकिन मुद्दा स्पष्ट हुआ तो पता लगा गुल बदमाश गायब है सब उसके घर की ओर चल पड़े तो गुल बदमाश की माँ ने खिड़की से झाँकते हुए कहा कि हंडिया गुल ने नहीं चुराई, ब्रीस्तू चीखता – हुआ गालियाँ देता रहा अन्त में अश्मी की बाँह पकड़कर घर की तरफ चला और बोला ''इन्हीं को खाने दो,

इनका तो दीन ईमान ही नहीं रहा।'' इन्हें ही खाने दो।" यह लाचारी की पराकाष्ठा थी।[6] जब सब चले गए तो अश्मी के सिर पर गरम–गरम हल्दी का सेंक देते हुए बोला– "अरी मैं कोई झूठ कह रहा था, घर में कभी दांता किलकिल नहीं होनी चाहिए, इससे दुर्गत हो जाती है।" कहानी की मार्मिकता इसके चुटीले संवाद और घर–घर में होने वाली परिस्थितियाँ है लेकिन जो ब्रीस्तू अपने को बलवान मानकर अश्मी को पीट रहा था क्योंकि वह ब्रीस्तू से दुर्बल थी, वहीं ब्रीस्तू गुल बदमाश की ताकत के सामने हार मानकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है।

– **डॉ. प्रियाशा कौल**
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र,
डॉ बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

संदर्भ :

1. मोहिउद्दीन, अख्तर (1977) ''कश्मीरी साहित्य में सामाजिक आदर्श और देशभक्ति (1900–1930)'' भारतीय साहित्य, खंड 20 (3), पृष्ठ 80–89.
2. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, (2024) गुमनाम नायक : भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि : दीनानाथ कौल नादिम, https://amritmahotsav-nic-in/unsung-heroes-detail-htm\18495
3. जुत्सी, सोमनाथ और कौल, शांतिवीर (2004) पुरस्कार विजेता पुस्तक 'येलि फूल गाश' से, भारतीय साहित्य, खंड 48 (4), पृष्ठ 108–111
4. कमलेश्वर (2014) कश्मीरी की चुनी हुई कहानियाँ, पृष्ठ 7.
5. शाह, हफ्सा सईद (2022) कश्मीर में निम्न जाति के मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार को समझनाष् दलितों की समकालीन आवाज, खंड 11 (1), पृष्ठ 1–11.
6. सभरवाल, निधि सदाना और सोनलकर, वंदना (2015) भारत में दलित महिलाएँ : लिंग, वर्ग और जाति के चौराहे पर, खंड 8 (1), पृष्ठ 44–73

FORENSIC SCIENCE AND IT'S EVIDENTIARY VALUE IN CRIMINAL LAW

- Sachin Bharti
Research Scholar

- Dr. Inderpreet Kaur Narang
Assistant Professor,

Introduction

Forensic science has emerged as one of the most transformative tools in the administration of criminal justice. By applying scientific principles to the collection, analysis, and interpretation of physical evidence, it offers an objective and reliable means of establishing facts. Whether in identifying perpetrators, reconstructing crime scenes, or corroborating witness testimonies, forensic science strengthens investigations and court proceedings alike, ensuring that justice is not only done but seen to be done.

At its core, forensic science encompasses a wide range of disciplines-each serving a distinct role in the investigative process. From analyzing human remains to examining digital data, it provides law enforcement agencies and the judiciary with factual clarity in even the most complex criminal matters.

Major Disciplines of Forensic Science

Forensic Pathology focuses on

determining the cause and manner of death, especially in suspicious circumstances. Through post-mortem examinations, forensic pathologists help establish whether a death was natural, accidental, suicidal, or homicidal. While autopsy reports are not conclusive on their own, courts regard them as strong corroborative evidence. In Abdul Rahman Sheikh v. State of M.P[1]., the Madhya Pradesh High Court upheld the admissibility of post-mortem findings under Section 45[2] of the Indian Evidence Act, now codified as Section 39[3] of the Bharatiya Sakshya Bill, 2023.

Forensic Toxicology investigates the presence of drugs, alcohol, or poisons in biological samples. It is indispensable in cases of suspected overdose, poisoning, impaired driving, and drug-facilitated crimes. Even when toxic substances have metabolized in the body, modern analytical techniques allow forensic experts to reconstruct their presence and impact with considerable accuracy.

Forensic Anthropology becomes vital when decomposed or skeletal remains are discovered. Experts analyze bone structures to estimate a person's age, sex, ancestry, stature, and possible cause of death. **Forensic Odontology,** similarly, assists in identifying victims through dental records-especially crucial in mass disaster scenarios where other identifi-cation methods fail.

Forensic Engineering applies principles of mechanical, civil, and electrical engineering to investigate structural collapses, vehicular accidents, and other incidents involving mechanical failure. **Forensic Ballistics,** on the other hand, focuses on firearms, ammunition, and explosives, helping to match weapons to bullets and trace their origins through national and international databases.

Digital Forensics has grown rapidly with the rise of cybercrime. This field encompasses the examination of digital devices like smartphones, laptops, and surveillance systems. Whether it's retrieving deleted messages, tracking emails, or analyzing cyberattacks, digital forensics plays a key role in modern criminal investigations.

Legal Admissibility of Forensic Evidence in India

Forensic evidence[4] is governed primarily by the Indian Evidence Act, 1872, and corresponding provisions in the Bharatiya Sakshya Bill, 2023. The Indian judiciary recognizes and relies heavily on expert opinion in various branches of forensic science.

- **Section 45 of the Indian Evidence Act / Section 39 BSB** allows expert opinion to be admissible in court when specialized knowledge is required.
- **Section 73 IEA/ Section 72 BSB** enables courts to direct fingerprint or handwriting comparisons.
- **Sections 53 and 54 of the CrPC / Sections 51 and 53 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023** permit medical examinations of the accused to collect bodily evidence.
- **Section 293 CrPC / Section 329 BNSS** lists authorized government experts whose reports are admissible as evidence.
- Additional statutes like the **NDPS Act, Drugs and Cosmetics Act,** and **Poison Act** regulate the forensic analysis of controlled substances and toxic agents.
- Section 5 & 6 of The **Prisoners Act, 1920** permits the collection of fingerprints and handwriting samples from individuals in custody.

Forensic Techniques in Criminal Trials

One of the most conclusive techniques in forensic science is **DNA Profiling.** It plays a vital role in confirming identities, resolving paternity disputes, and linking suspects to crime scenes. In the infamous Nitish Katara case[5], DNA testing helped identify the deceased's remains after his body was severely burned, leading to a conviction.

Fingerprint Analysis remains a gold standard in linking individuals to crime scenes. Each person's fingerprints are unique and immutable, making them highly reliable. Courts admit fingerprint evidence when verified by qualified experts, and collecting such evidence does not infringe upon constitutional protections against self-incrimination.

Narco-analysis involves administering a sedative (typically sodium pentothal) to induce a semi-conscious state in which suspects are more likely to divulge information. While controversial, the Supreme Court in Selvi v. State of Karnataka[6] ruled that narco-analysis may be permissible with the suspect's consent under Section 53[7] CrPC, now Section 51[8] of the BNSS. Similarly, **Lie Detection (Polygraph)** measures physiological changes-like pulse, blood pressure, and respiration during questioning. Though not always admissible, such tests can support investigations when conducted ethically and with consent.

Evidentiary Value in the Criminal Justice System

Forensic science provides clarity in cases where conventional evidence may

be lacking. It assists law enforcement in reconstructing crime scenes, identifying offenders, and determining the sequence of events with precision. In Sushil Mandal v. State[9], forensic experts identified the decomposed body of a schoolboy using DNA analysis, establishing the victim's identity and confirming the timeline of the crime. The court upheld the forensic findings as pivotal to the conviction.

Forensic evidence is particularly valuable when :

- Eyewitness accounts are absent or unreliable.
- The identity of the victim or accused is disputed.
- The motive or method of the crime is unclear.
- The defence challenges the integrity of circumstantial evidence.

Its objectivity ensures that investigations are free from personal bias, reducing the likelihood of wrongful convictions and protecting the rights of the accused.

Conclusion

Forensic science has become a cornerstone of modern criminal investigation. Its scientific rigor offers an impartial and accurate foundation for legal decision-making, reinforcing the credibility of the justice system. As technology evolves, so do the techniques used to solve crimes, demanding continuous investment in training, infrastructure, and awareness.

Beyond laboratories and court-rooms, forensic science also serves a broader societal function-instilling public confidence in the rule of law. Whether uncovering the truth in a gruesome murder or tracing the origin of a cyberattack, forensic science equips investigators with the tools to solve crimes swiftly and fairly.

In an era where criminal methods are becoming increasingly sophisticated, forensic science is not merely an option—it is a necessity. Its role in upholding justice, protecting the innocent, and punishing the guilty cannot be overstated.

- Sachin Bharti
Research Scholar,
Guru Nanak Dev University, Amritsar
Mob. +91 9780333360

- Dr. Inderpreet Kaur Narang
Assistant Professor,
Department of Laws,
G.N.D.U Regional Campus, Jalandhar.

References :

1. 2002 (3) MPHT 330.
2. Section 45 of Indian Evidence Act states that the court can seek an opinion of an expert when it has to form an opinion about a point of law or of science or of an art and someone who is skilled in such field is called to be an expert
3. Section 39 of Bharatiya Sakshya Bill states that (1) When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or any other field, or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or any other field, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts and such persons are called experts.

   (2) When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the Examiner of Electronic Evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act, 2000, is a relevant fact.

   Section 293 CrPC / Section 329 BNSS lists authorized government experts whose reports are admissible as evidence.
4. Section 3 of Indian evidence Act, 1872 defines 'Evidence' as all the statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses which are called oral evidences and all the documents including electronic records are called documentary evidences.

   Section 2(e) of Bhartiya Sakshya Bill, 2023 defines 'Evidence' as (i) all statements including statements given electronically which the Court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry and such statements are called oral evidence; (ii) all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the Court and such documents are called documentary evidence. Section 3 of Bhartiya Sakshya Bill, 2023 states that Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others.
5. Vikas Yadav v. state of U.P. (2016) 9 SCC 541.
6. (2010) 7 SCC 263.
7. Section 53(1) of The Code of Criminal Procedure, 1973 states that When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.
8. Section 51(7) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of any police officer, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.
9. HCP No 801 of 2014, decided on 23.07.2014 (Mad H.C).

ओ.वी. विजयन के ''खसाक की किंवदंतियाँ'' और ''धर्मपुरी की गाथा'' शोध संस्कृति का चित्रण : एक अध्ययन

– [1]सिमरन यादव और
– [2]डॉ. नवीन कुमार मेहता
पीएच.डी. शोधार्थी, अंग्रेजी विभाग
– [2]डीन अकादमिक्स,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग

सारांश

ओ.वी. विजयन के चयनित उपन्यासों में लोक कला के तत्व गहराई से देखे जा सकते हैं। 'खसाक की किंवदंतियाँ', और 'धर्मपुरी की गाथा', जैसे उपन्यासों में केरल की लोक परंपराओं, लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन उपन्यासों में ग्रामीण जीवन की सादगी, सामाजिक व्यवस्थाएँ, और परंपरागत लोक विश्वासों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। विजयन ने लोक कला के विभिन्न रूपों जैसे लोकगीत, कथाएँ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणी की है। उनकी कहानियों में लोक कला के माध्यम से पात्रों और समाज के संघर्षों को दर्शाया गया है। विजयन ने अपने उपन्यासों में परंपरा और आधुनिकता के बीच के टकराव को चित्रित किया है, उनके साहित्य में लोक कला न केवल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है, बल्कि कथा के विकास का एक आवश्यक अंग है।

मुख्य शब्द : लोक कला, परंपरा, ग्रामीण जीवन, धार्मिक और आधुनिकता।

प्रस्तावना

ओ.वी. विजयन, जिन्हें मलयालम साहित्य का एक महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है, का जन्म 2 जुलाई 1930 को केरल के कोझीकोड में हुआ। वे न केवल एक उपन्यासकार थे, बल्कि एक पत्रकार और सामाजिक विचारक भी थे। विजयन की रचनाएँ गहराई, मानवीय भावनाएँ, और समाज के प्रति संवेदनशीलता से भरी हुई हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से केरल की संस्कृति, लोक परंपराएँ, और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है।

विजयन का प्रमुख उपन्यास **''खसाक की किंवदंतियाँ''** (1969), इस उपन्यास में **खसाक** नामक एक छोटे से गाँव की कहानी को पेश किया गया है, जहाँ मुख्य पात्र, आचार्य, अपनी आत्मिक खोज में गाँव की गहराइयों में उतरता है। उपन्यास ग्रामीण जीवन की लोक परंपराओं और मनुष्य के अनुभवों का सारांश प्रस्तुत करता है। विजयन ने इसमें लोक कला, मिथक, और केरल की समृद्ध संस्कृति का अद्भुत चित्रण किया है।

विजयन का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास **''धर्मपुरी की गाथा''** (1977) है, जो धर्मपुरी गाँव की धार्मिक और सामाजिक संरचना की कहानी कहता है। इस उपन्यास में एक साधु की यात्रा के माध्यम से धार्मिक विश्वासों, लोक कथाओं और समाज के जटिल संबंधों की चर्चा की गई है। यह समाज में व्याप्त विभिन्न परंपराओं और रीति–रिवाजों की गहराई को भी उजागर करता है।

इन दोनों उपन्यासों में विजयन ने मानवीय भावनाओं, सामाजिक व्यवस्था, और सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया है। उनका लेखन साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक है।

चयनित उपन्यासों में लोक कला के तत्व

विजयन ने उपन्यास में विभिन्न लोक कथाओं का समावेश किया है। ये कथाएँ न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि वे गाँव के लोगों के जीवन के मूल्यों और विश्वासों को भी प्रदर्शित करती हैं।

''खसाक की किंवदंतियाँ'' में लोक कला का पहला उदाहरण गाँव के लोकगीतों के माध्यम से मिलता है। ये गीत गाँव के लोगों की भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को व्यक्त करते हैं। ग्रामीण जीवन में

प्रचलित नृत्य और संगीत भी विजयन के उपन्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उपन्यास में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों का वर्णन है, जो समुदाय के एकत्रित होने और संस्कृति के उत्सव को दर्शाते हैं। विवाह, जन्म, और मृत्यु जैसे अनुष्ठानों में लोक कला की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है।

1. अनुष्ठानिक प्रथाएँ और उत्सव

धार्मिक और सामाजिक जीवन से जुड़ी अनुष्ठानिक प्रथाएँ और उत्सव केरल की लोक संस्कृति का केंद्रीय हिस्सा हैं। **"खसाक की किंवदंतियाँ''** में वेला (एक मंदिर उत्सव) और अन्य मंदिर समारोह इस बात का उदाहरण हैं कि ये प्रथाएं ग्रामीण जीवन में कितनी गहराई से बसी हुई हैं। इन उत्सवों में पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन शामिल होते हैं। **"धर्मपुरी की गाथा''** में अनुष्ठान राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं, जहाँ ये आयोजन केवल दिखावा बन जाते हैं और अपने आध्यात्मिक सार को खो देते हैं।

2. लोककथाएँ और पौराणिक कथाएँ

लोककथाएँ केरल की मौखिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। **"खसाक की किंवदंतियाँ''** में गाँव के लोग इन कहानियों से प्रभावित होते हैं, जो स्थानीय देवताओं, आत्माओं और पौराणिक नायकों से भरी होती हैं। इसके विपरीत, **"धर्मपुरी की गाथा''** में प्राचीन कथाओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुनः गढ़ा जाता हैं।

3. पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ

लोक चिकित्सा, जिसे केरल में नट्टु वैद्यम कहा जाता है, एक प्राचीन पद्धति है जहाँ हर्बल औषधियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग किया जाता है। **"खसाक की किंवदंतियाँ''** में गाँव के वैद्य का उदाहरण है, जिसका प्राकृतिक औषधियों का ज्ञान पूरे समुदाय द्वारा आदर के साथ स्वीकार किया जाता है। **"धर्मपुरी की गाथा''** में पारंपरिक उपचार एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है।

4. संगीत और नृत्य

केरल में लोक संगीत और नृत्य, जैसे **ओप्पना और कोल्कली,** सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण रूप हैं, जिन्हें अक्सर उत्सवों और सामुदायिक आयोजनों के दौरान किया जाता है। **"खसाक की किंवदंतियाँ''** में ये कला रूप गाँव के जीवन का हिस्सा हैं, जहाँ संगीत और नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि पूजा और सामाजिक बंधन के रूप में भी किए जाते हैं। **"धर्मपुरी की गाथा"** में, इन लोक प्रदर्शनियों को राजनीतिक नेताओं द्वारा हेर–फेर कर दिखावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है

5. पारंपरिक वेशभूषा

केरल की पारंपरिक वेशभूषा, जैसे पुरुषों के लिए मुंडू और महिलाओं के लिए सेट्टू साड़ी, लोगों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। **''खसाक की किंवदंतियाँ''** में ग्रामीणों के साधारण वस्त्र उनके पारंपरिक मूल्यों और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दिखाते हैं। **"धर्मपुरी की गाथा"** में पारंपरिक वेशभूषा का उपयोग राजनेताओं द्वारा राजनीतिक प्रतीकों के रूप में किया जाता है,

6. नाटक और लोक प्रदर्शन

केरल का लोक नाटक, जैसे **थेय्यम** और **कथकली,** पौराणिक कथाओं और लोककथाओं का नाटकीय रूप है, जिसमें नृत्य, संगीत और कहानी को जोड़ा जाता है । **"खसाक की किंवदंतियाँ''** में ये प्रदर्शन ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं, जहाँ ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक शिक्षा के रूप में होते हैं। **"धर्मपुरी की गाथा''** में ये लोक प्रदर्शन राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने के साधन बन जाते हैं, जो दिखाता है कि कला को किस प्रकार सत्ता द्वारा अपनाया और बदला जा सकता है।

निष्कर्ष

ओ.वी. विजयन के उपन्यासों में लोक कला के

तत्वों का गहरा और समृद्ध चित्रण उनके साहित्य की विशेषता है। इन रचनाओं में लोक गीत, लोक कथाएँ, नृत्य, संगीत, और शिल्पकला जैसे विभिन्न लोक कला रूपों का समावेश उनकी कहानियों को सांस्कृतिक गहराई और सामाजिक प्रासंगिकता प्रदान करता है। विजयन की लेखनी में ये तत्व केवल सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वे मानव अनुभवों के जटिलताओं को भी उजागर करते हैं।

इसके अलावा, विजयन के उपन्यासों में लोक कला के माध्यम से समाज की सामूहिक स्मृति और पहचान को संरक्षित किया गया है। ये लोक कला रूप न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे समुदाय की एकता और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दर्शाते हैं। लोक कला केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की सामाजिक संरचना का भी अभिन्न हिस्सा है। लोक परंपराएँ हमारी पहचान और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अंततः, ओ.वी. विजयन की कृतियाँ एक ऐसी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो लोक कला और संस्कृति के प्रति हमारी समझ को विस्तृत करती हैं। उनके उपन्यासों में लोक कला का समावेश न केवल कहानी को समृद्ध करता है, इस प्रकार, विजयन का साहित्य हमें यह सिखाता है कि लोक कला का महत्व केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

– [1]**सिमरन यादव और**
– [2]**डॉ. नवीन कुमार मेहता**
पीएच.डी. शोधार्थी, अंग्रेजी विभाग
सांची विश्वविद्यालय, बौद्ध – भारतीय अध्ययन,
सांची, रायसेन (म.प्र.) मोबा. 7974098653

– [2]**डीन अकादमिक्स,**
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग
सांची विश्वविद्यालय, बौद्ध – भारतीय अध्ययन,
सांची, रायसेन (म.प्र.)

संदर्भ :

- रविंद्र प्रताप सिंह (2015), "ओ. वी. विजयन के धर्मपुरी की गाथा में प्रतिबंधों को उपमा के रूप में पढ़ना", 'आवेदनात्मक सांस्कृतिक अध्ययन पत्रिका', खंड 1, पृष्ठ 130–1361.
- राजन, मारिया (2017), "ओ.वी. विजयन के धर्मपुरी की गाथा में विचित्र यथार्थवाद", 'तत्त्व : दार्शनिक पत्रिका'।
- रविंद्रम, अश्वथी (2020), "ओ.वी. विजयन के उपन्यास खसाक का इतिहास में जादुई यथार्थवाद के प्रति एक उपनिवेशवादी दृष्टिकोण'', 'ओराय' प्रकाशन : अंग्रेजी शोध पत्रिका (RJOE), खंड 5, अंक 1, पृष्ठ 198–2021.
- सेल्वालक्ष्मी, एस और जयंत (2016), "ओ. वी. विजयन के खसाक का इतिहास में एक हाशिए के समाज का चित्रण", "एक अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक पत्रिका'', खंड 2, अंक 4, पृष्ठ 1–81.
- सेल्वालक्ष्मी, एस और जयंत (2018), "ओ.वी. विजयन के खसाक का इतिहास में कई विषयों का अध्ययन", 'परिपेक्ष : भारतीय शोध पत्रिका', खंड 7, अंक 1, पृष्ठ 86–881.

MICROFINANCE AND ITS ROLE IN FINANCIAL INCLUSION IN INDIA

- Ms. Tanvisha Tiwari

ABSTRACT

Microfinance refers to the provision of financial services to low-income individuals or those who do not have access to conventional banking facilities. In India, where a substantial portion of the population lives below the poverty line and lacks formal financial services, microfinance has emerged as a vital tool for financial inclusion. This research paper aims to understand the impact of microfinance on improving the socio-economic status of underserved

communities and its role in achieving financial inclusion.

KEY WORDS : Microfinance, Financial Inclusion, MFI, NBFC, Portfolio Outstanding, Small finance bank(SFB), Loan disbursed.

INTRODUCTION

India has seen significant growth over the past decade, but challenges remain especially for low-income households, who often rely on informal borrowing. As banking services resemble public goods, universal and non-discriminatory access should be a key policy goal. Poor households seek secure deposits, low transaction costs, convenient access, and affordable credit and remittance services suited to their needs.

NEED OF THE STUDY

Financial exclusion remains a significant challenge globally, with a large population lacking access to formal financial services. This study is needed to explore how MFIs, with their focus on serving marginalized and underserved populations, can play a crucial role in extending financial services to those who have been excluded from the formal banking sector. This study can evaluate the impact of MFIs on poverty alleviation by examining how access to financial services and microcredit contributes to increased income, asset accumulation, and improved living standards for individuals and households.

MICROFINANCE IN INDIA

The microfinance industry in India has significantly advanced financial inclusion by empowering underserved communities. Non-Banking Financial Companies specializing in Microfinance (NBFC-MFIs) account for 41% of loans disbursed and 38% of the portfolio outstanding, highlighting their key role. Private Sector Banks have disbursed 77 lakh loans, underscoring microfinance's impact on addressing the credit needs of the economically marginalized. Beyond financial aid, microfinance fosters entrepreneurship and socio-economic upliftment, proving vital to inclusive economic growth in India.

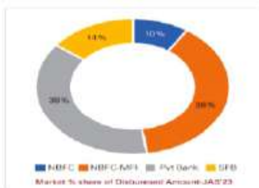

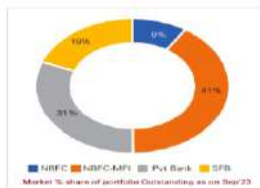

NBFC-MFIs lead India's micro-finance sector, accounting for 41% of loan disbursements and outstanding portfolios, followed closely by Private Sector Banks (38%) and SFBs (14%). NBFC-MFIs also hold a major share in

disbursed amounts (38%). Overall, 205 lakh loans were disbursed, with a total outstanding portfolio of ₹395,004 crores and disbursed amount of 93,122 crores, reflecting the sector's strong outreach and impact.

Advantages of Microfinance

Microfinance offers numerous benefits:

1. Entrepreneurship and Business Growth : Microloans enable small businesses and entrepreneurs to start or expand their operations, contributing to job creation and economic growth in local communities.

2. Poverty Reduction : By providing the means to earn a sustainable income, microfinance helps lift people out of poverty. Access to credit allows them to invest in productive activities, leading to increased income and improved quality of life.

3. Empowerment of Women : Microfinance institutions often target women, empowering them by providing them with the means to start their own businesses. This leads to greater financial independence and helps promote gender equality.

4. Education and Health Improvements : With improved income from business activities funded by microloans, families can better afford education and healthcare, leading to improved well-being and opportunities for future generations.

5. Encouragement of Savings : Some microfinance programs also offer savings options, helping individuals develop saving habits and build financial resilience against unforeseen expenses.

CONCLUSION

The Micro Finance programme has significantly contributed to the Indian economy by offering sustainable financial services to the poor, marginalized, and unbanked. Comple-menting the banking system, it promotes inclusive development and economic parity.

- Ms. Tanvisha Tiwari
(M.Com.)
Institute for Excellence in Higher Education
Mob. 9993401389

References :

1. https://www.equifax.co.in/
2. www.drishtiias.com
3. Kijahs/Jan-Mar2016/Vol-3/Iss-1/A26 Issn:2348-4349 Impact Factor (2016) – 6.8712 Kaav International Journal Of Arts, Humanities & Social Sciences Financial Inclusion: An Overview Of Microfinance In India Dr. Utasav Anand.

बृद्ध ही जगत की ज्योति है

समताधर्म पुस्तक की स्थापना।
बुद्ध जीवनी से लिखी प्रस्तावना।।
बुद्धत्व की लौ प्रज्ज्वलित करेगी।
अंध श्रृद्धा भक्ति को दूर भगाएगी।।
कलम लिख तू एक पोथी।
बुद्ध ही जगत की ज्योति।।
कोलाहल से शान्ति की ओर प्रस्थान।
बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही एक स्थान।।
जीवन को सन्मार्ग पर ले जाएगा।
मानव मन निर्वाण पद पाएगा।।
कलम लिख तू एक कहानी।
बुद्ध छवि से होगी संजीवता की पूर्ति।।
मार्ग में आए अनगिनत अंगुलिमालों को उठाएगी।
जीवन को पतित से पावन बनाएगी।।
कलम लिख तू एक दोहा।
बुद्ध शरण में हैं पुलकित रोहा–रोहा

जय प्रकाश वाल्मीकि

बुद्ध ने हिंसा नहीं करने को कहा अवश्य है, लेकिन इसे परमो धर्म कभी नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंसा सहन करना भी हिंसा समान है। बुरे काम को प्रोत्साहन देना, बुरे काम को होते रहने देने में है और यह समाज के विनाश का कारण है। प्रत्येक वह कार्य जो किसी भी जीव के कष्ट का कारण बने हिंसा की परीधि में आता है। "जियो और जीने दो" का सिद्धांत इसी बात से निकला है।

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

____

____

____

____

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक **पिंकी सत्यप्रेमी** ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार